

13.2.19

प्रमाणित पत्र दे। नवीन वार्ड-उप। वाढ-पत्र
स्वीकार किया जाता है। निम्न निम्न प्रमाणित
वर्क करवाया जाकर बाह्य प्रमाणित, (हिसाब),
प्रमाणित फर्म अथवा फर्म नम्बर से करवा
व बाह्य दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवादी (हिसाब)